

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती डॉ. प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

050 - 127/2019

उपस्थित

- 1 गोपी पिता हेमा बलाई उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 गंगाराम पिता हेमा बलाई उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

(प्रार्थी)

बनाम

1. लालादास पिता शंकरदास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. उदयदास पिता बलदेव दास उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. कन्हैया लाल पिता बख्तावर बैरवा उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. कन्हैया लाल पिता उगमा बलाई उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
5. भैरूलाल पिता नाथु बलाई उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.- डिलीट
6. धन्ना पिता लादु चमार उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
7. पन्ना पिता जगनाथ चमार उम्र वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

श्री कृष्ण कुमार जीनगरप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 10.10.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 19.06.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बैसकलाई पटवार मण्डल राक्षी भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 446 के आ0न0 1995 रकबा 01-00 बीघा, एवं खाता संख्या 109 के आराजी संख्या 1731, 1786 किता 2 रकबा 02-13 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.07.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी कम 05 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 05 का सम्मन लौटकर अदम तामील प्राप्त, जिस पर उक्त का फौत होना अंकित आया। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी कम 05 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 05 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बैसकलाई पटवार मण्डल राक्षी भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 446 के आ0न0 1995 रकबा 01-00 बीघा, एवं खाता संख्या 109 के आराजी संख्या 1731, 1786 किता 2 रकबा 02-13 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर को 400/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियाण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा